

न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी कोलायत

बड़जलास - श्री प्रदीप कुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या 08/2022

Avaada Sunays Energy Private Limited जरिये प्रतिनिधी मयंक सिंह पडिहार पुत्र श्री जगमोहनसिंह पडिहार जाति राजपुत निवासी 37 प्लॉट नम्बर 32 ट्रेक्टर्स एसोसियेशन, नंदनवन, जोधपुर तहसील जोधपुर जिला जोधपुर।

बनाम

..... वादी

1. अन्तरी देवी पत्नि मांगीलाल जाति बेलदार निवासी नोखडा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. अनिल कुमार पुत्र लीलाधर जाति ब्राह्मण निवासी नोखडा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. जगदीशराम पुत्र रेखाराम जाति बेलदार निवासी नोखडा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
4. नत्थू पुत्र शारदा जाति बेलदार निवासी नोखडा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
5. मोडाराम पुत्र आदूराम जाति बेलदार निवासी नोखडा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
6. रेवन्तराम पुत्र मांगीलाल बेलदार निवासी नोखडा तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
7. हुक्माराम पुत्र रेखाराम जाति बेलदार निवासी तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व कोलायत।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

1. रामचन्द्रसिंह भाटी अधिवक्ता वादी
2. अरुण राठौड अधिवक्ता प्रतिवादी
3. पैरोकार राज

:- निर्णय :-

दिनांक :- 24.02.2022



वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते की भूमि ग्राम नोखडा में खसरा नंबर 107 तादादी 3.2245 हैक्टर, खसरा नम्बर 73 तादादी 49.2523 हैक्टर कुल तादादी 52.4768 हैक्टर भूमि जिसमें वादी का हिस्सा 29/36 है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/108 है, प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1/27 है, प्रतिवादी संख्या 3 का हिस्सा 1/36 है, प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 1/48 है, प्रतिवादी संख्या 5 का हिस्सा 1/16 है, प्रतिवादी संख्या 6 का हिस्सा 1/103 है तथा प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा 1/36 है।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

वादी अपने हक हिस्से तक प्रतिवादीगण के साथ अच्छी से अच्छी व मंदा से मंदा भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन करवाने की अधिकारी है व इसी गर्ज से वाद पेश किया है। प्रत्युत्तर में प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाब पेश किया कि वादी स्वयं खाता विभाजन नहीं करवाना चाहती बल्कि प्रतिवादी स्वयं खाता विभाजन करवाने को तैयार है, तत्पर है। वाद स्वीकार किया जाकर सहमति के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाया जावे। वाद में विवाद की स्थिति नहीं होने व वादी एवं प्रतिवादी के मध्य खाता विभाजन करवाने के लिए आपसी सहमति होने से वाद में तनकियात व अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होने से वाद गुणावगुण पर निस्तारित किया जावे।

उभय पक्ष की बहस समाप्त की गई। वकील वादी ने निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा में निहित उसके हक अधिकारों पर विपरीत असर डाले बगैर आराजी मुतनाजा का खाता विभाजन किया जावे प्रत्युत्तर में प्रतिवादी के वकील ने निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य उनके हिस्से अनुसार खाता विभाजन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया, उभय पक्ष की बहस पर विवेचन किया। वाद मुख्यतः खाता विभाजन के लिए है। पक्षकारों में आपसी सहमति होने से वाद स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार राजस्व, कोलायत ग्राम नोखडा के खसरा नंबर 107 तादादी 3.2245 हैक्टर, खसरा नम्बर 73 तादादी 49.2523 हैक्टर कुल तादादी 52.4768 हैक्टर भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस अच्छी से अच्छी व मन्दी से मन्दी भूमि के प्रस्ताव तैयार कर खाता विभाजन के प्रस्ताव तैयार कर लगान कायम कर, नक्शा में रंग प्रदर्शित कर प्रस्ताव प्रस्तुत करे।

प्राथमिक डिक्री पृथक से जारी की जाकर तहसीलदार राजस्व, कोलायत से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2022 को लिपिबद्ध करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



4
(प्रदीप कुमार)

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला न्यायालय
कोलायत

निर्णय डिक्री की प्रति तहसीलदार राजस्व, कोलायत को पालनार्थ प्रेषित है।

4
(प्रदीप कुमार)

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला न्यायालय
कोलायत